

राजस्थान-सरकार
--: न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :-77 / 2025

दायर दिनांक :- 01.04.2025

जी.सी.एम.एस. :-2025 / 90

फैसल दिनांक :-23.07.2025

श्री सरकार बजरिए भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री छगनलाल पिता धनजी, निवासी-बोरी
2. श्रीमति फुलवंती पत्नि छगनलाल, निवासी-बोरी
3. श्री अमित पिता छगनलाल, निवासी-बोरी

-प्रतिवादीगण

उपस्थित :-




1. राजकीय पेरोकार
2. श्री लक्ष्मण कोटेड, अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2

प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक एसडीओ/2021/1915-17 दिनांक 13.01.2022 द्वारा ग्राम बोरी तहसील डूंगरपुर के आराजी खसरा नम्बर 1941 में रकबा 0.32 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी। मौके पर कब्जा, काश्त नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी ने राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के नियम 14 (4) के तहत उक्त कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त कराने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने से आवंटनी श्रीमति फुलवंती द्वारा वारिसान पुत्र श्री विशाल, पुत्री सुश्री अरुणा तथा श्री अमित बतौर पक्षकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा बोरी में आवंटन खसरा संख्या 1941 रकबा 0.32 पर उपखण्ड अधिकारी, गिरदावर, पटवारी तहसीलदार द्वारा जांच कर प्रतिवादी को उक्त जमीन आवंटन की गई थी उस समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी ने नहीं दी थी। तथा उक्त जमीन विधिवत आवंटन हुई थी तथा उक्त खसरे पर पैल्टी स्व.श्री छगनलाल के द्वारा भरी जा रही थी। जिसकी रसीदे प्राप्त कर रखी है। जिस पर स्व. श्री छगनलाल के वारिसान उक्त खसरे पर निवास होकर काबिज है। प्रतिवादी उक्त जमीन पर करीब 40 वर्षों से मौके पर काबिज है और उक्त भूमि पर स्व.श्री छगनलाल का मकान बना हुआ है तथा प्रतिवादी के वारिसान ही उक्त खसरे पर खेती का कार्य करते हैं। प्रतिवादी ने आवंटन


जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है तथा उपखण्ड अधिकारी पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार द्वारा उक्त खसरे को देखकर विधिवत आवंटन किया गया था, जिस पर प्रतिवादी के वारिसान स्वयं ही काबिज है। प्रतिवादी श्री छगनलाल की मृत्यु होने से उसके वारिसान पत्नि श्रीमति फुलवती, पुत्र श्री अमित, श्री विशाल, सुश्री अरुणा को उक्त खसरा संख्या 1941 रकबा 0.32 का आवंटन निरस्त किया तो प्रतिवादी को भागी सती होगी। जिसकी भरपाई करना सम्भव नहीं है। प्रतिवादी एक आदिवासी गरीब परिवार के है, अगर प्रतिवादी को उक्त खसरे से निरस्त किया गया तो रहने व खाने पिये की काफी परेशानी होगी। जिस कारण प्रतिवादी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जायें।

उभयपक्षों की बहस समाप्त की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण उक्त जमीन पर करीब 40 वर्षों से मौके पर काबिज है, और उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के स्वयं का मकान बना हुआ है तथा उक्त खसरे पर खेती का कार्य करते हैं। प्रतिवादीगण ने आवंटन अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमावे। प्रार्थी राजकीय पेशेकार द्वारा अपने कथन में प्रतिवादीगण को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। यदि आवंटनी प्रतिवादीगण का पूर्व से विधिक कब्जा होता तो उसे आवेदन के समय या संबंधित प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रतिवादीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की और न ही मौके पर कब्जा लिया। अतः भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।

मेरे द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि भूमिधारी तहसीलदार झूंगरपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी को उक्त आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न ही मौके पर कब्जा किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आवंटनी प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान भू-राजस्व, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 14 (3) का स्पष्ट उल्लंघन करना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, झूंगरपुर के आदेश क्रमांक एसडीओ/2021/1915-17 दिनांक 13.01.2022 से प्रतिवादी को ग्राम बोरी के खसरा नम्बर 1941 में किये गये कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन रकबा 0.32 हैक्टर को निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, झूंगरपुर तथा भूमिधारी तहसीलदार, झूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
झूंगरपुर